(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–परचा डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 254 / 2014 दायरा दिनांक 26.12.2014

1. लालचन्द } पिसरान नत्थू जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. राजेन्द्र } राजस्थान
3. कांता पुत्री स्व0 श्री हनुमान पुत्र श्री नत्थू जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान नाबालिग जरिये माता रविना पत्नी स्व0 श्री हनुमान(वादीनं0 4)
4. रविना पत्नी स्व0 श्री हनुमान पुत्र श्री नत्थू जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

(वादीगण)

बनाम

1. श्री नत्थू पि0मु0 सुगनी पत्नी स्व0 श्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. श्रीमति रामेश्वरी उर्फ राजबाला पुत्री श्री नत्थू पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 2 जीडीएसएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

(प्रतिवादीगण)

वादपत्र धारा 88 आरटीए मुकदमा नं0 254 वर्ष 2014 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत एवं वकील प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 श्री हरीसिंह के हाजिर होने पर वाद पत्र स्वीकार कर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी जारी की जाती हैं कि:–

चक 4 बीजेडब्लयु द्वितिय खाता नं0 13 प0न0 32/29 कि0न0 14 ता 18, 22 ता 25 = 2.277 है0, प0न0 32/37 कि0न0 21 ता 23 = 0.759 है0, प0न0 32/38 कि0न0 4,7 = 0.506 है0, प0न0 32/30 कि0न0 2,3,7,8,13,14,16 ता 18,23 ता 25 = 2.961 है0, प0न0 32/31 कि0न0 3 ता 5 = 0.759 है0 कुल 7.262 है0 क0अ0क0 मय खाला, एवं इसी चक 4 बीजेडब्लयु द्वितिय खाता नं0 14 प0न0 32/37 कि0न0 6,15,16,25 = 1.012 है0, प0न0 32/45 कि0न0 11,20,21 = 0.684 है0, प0न0 32/46 कि0न0 1,10 = 0.456 है0, प0न0 32/38 कि0न0 2,3,5,6,8 ता 13,18 = 2.783 है0, प0न0 32/30 कि0न0 15 = 0.253 है0 कुल 5.188 है0 कुल दोनो खातो की 12.450 है0 खातेदारी भूमि में वादी नं0 1 लालचंद व वादी नं0 2 राजेन्द्र व प्रतिवादी नं0 1 श्री नत्थू को 3/4 हिस्सा ब0हि0ब0, एवं वादी नं0 3 कांता व वादी नं0 4 रविना को 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

नोज.........×............ मुबलिग.........×............बाबत.........×............ खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह.........×..........फस्दो की पालना .........×............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

# न्यायालय सहायक जिलाधीश एवम् उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

बइजलासः–श्री मनोज मीणा आर.ए.एस

प्रविष्टि दिंनाक 26.12.2014

राजस्व वाद संख्या 254 / 2014

1. लालचन्द } पिसरान नत्थू जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला
2. राजेन्द्र } श्री गंगानगर राजस्थान
3. कांता पुत्री स्व0 श्री हनुमान पुत्र श्री नत्थू जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान नाबालिग जरिये माता रविना पत्नी स्व0 श्री हनुमान(वादीनं0 4)
4. रविना पत्नी स्व0 श्री हनुमान पुत्र श्री नत्थू जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

(वादीगण)

**बनाम**

1. श्री नत्थू पि0मु0 सुगनी पत्नी स्व0 श्री आसाराम जाति जाट निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. श्रीमति रामेश्वरी उर्फ राजबाला पुत्री श्री नत्थू पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चक 2 जीडीएसएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

(प्रतिवादीगण)

उपिस्थिति :–

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक (वादीगण)
2. श्री हरीसिंह अभिभाषक (प्रतिवादीगण नं0 1 व 2)
3. प्रतिवादी नं0 4 तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ (अनुपस्थित)

## निर्णय

दिंनाकः–30.12.2019

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नं0 1 नत्थु पि0मु0 सुगनी जो कि वादीगण का पिता हैं, की माता यानि वादीगण की दादी श्रीमति सुगनी पत्नी श्री आशा जाति जाट निवासी भोजेवाला के नाम से रोही भोजेवाला के ख0न0 51,52,53 / 1,53 / 2 में 49–04 बीघा भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज थी। बतौर साक्ष्य गिरदावरी सम्वत् 3031 से 2034 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की। जो संलग्न वाद पत्र है।

उपरोक्त भूमि चकबंदी में आने पर चक 4 बीजेडब्लयु द्वितिय खाता नं0 13 प0न0 32 / 29 कि0न0 14 ता 18, 22 ता 25 = 2.277 है0, प0न0 32 / 37 कि0न0 21 ता 23 = 0.759 है0, प0न0 32 / 38 कि0न0 4,7 = 0.506 है0, प0न0 32 / 30 कि0न0 2,3,7,8,13,14,16 ता 18,23 ता 25 = 2.961 है0, प0न0 32 / 31 कि0न0 3 ता 5 = 0.759 है0 कुल 7.262 है0 क0अ0क0 मय खाला, एवं इसी चक 4 बीजेडब्लयु द्वितिय के खाता नं0 14 प0न0 32 / 37 कि0न0 6,15,16,25 = 1.012 है0, प0न0 32 / 45 कि0न0 11,20,21 = 0.684 है0, प0न0 32 / 46 कि0न0 1,10 = 0.456 है0, प0न0 32 / 38 कि0न0 2,3,5,6,8 ता 13,18 = 2.783 है0, प0न0 32 / 30 कि0न0 15 = 0.253 है0 कुल 5.188 है0 कुल दोनो खातो की 12.450 है0 में पैमूदा हुआ। बतौर साक्ष्य सूचि नं0 4 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की। जो संलग्न वादपत्र है।

..........लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

वर्तमान में उक्त रकबा प्रतिवादी नं0 1 श्री नत्थू के नाम से दर्ज पटवार वाके है। बतौर साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2062 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की। जो संलग्न वादपत्र है। जो कि स्पष्ट रूप से पैतृक भूमि की श्रेणी में आती है। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण का पिता है। प्रतिवादी नं0 1 नत्थू के वादी नं0 1 व 2 एवं वादी नं0 3,4 का स्व0 पिता/पति हनुमान तीन पुत्र व प्रति नं0 2, एक पुत्री कुल चार जायज वारिस है। प्रतिवादी नं0 2 ने अपने हक का त्याग कर दिया है। इस प्रकार वादीगण उक्त कुल पैतृक सम्पति में वादी नं0 1 व 2 , 2/4 हिस्सा ब0हि0ब0 व वादी न0 3,4, 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 पाने के हकदार है।

इसके अलावा वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया कि पंचायत द्वारा राजीनामा करवाकर कब्जा मुताबिक हिस्सा वादीगण को सौंप दिया परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने के कारण वादीगण सरकारी योजनाओ का लाभ नही उठा पा रहें है एवं अब प्रतिवादी नं0 1 पंचायत के फैसले की अवहेलना करके उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने हेतु उतारू है। वादीगण ने एक माह पूर्व प्रतिवादी नं0 1 से निवेदन किया कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम करवा देवें तब वह आनाकानी करने लगा एवं आज से 15 दिन पूर्व रिश्तेदारो के समक्ष वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 को विशेष जोर देकर भूमि नाम करने को कहां तो वही स्पष्ट इंकार हो गया । यही से वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होता है। अतः वादाधीन भूमि मुताबिक रिकार्ड पैतृक होना साबित है। वादीगण, प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र,पुत्रवधु,पौत्री एवं सहदायिक है। प्रतिवादी नं0 2 द्वारा हकत्याग के पश्चात् वादी नं0 1 व 2 , 2/4 हिस्सा ब0हि0ब0 व वादी न0 3,4, 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 पाने के हकदार है। जो हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पिता के जीवनकाल में घोषित करवाने के हकदार है।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् वाद रिपोर्ट वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 4 को सम्मन बनाम प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 जरिये वकील दिनाक 27.01.2015 हाजिर होकर वादपत्र के समर्थन में जबाब दावा प्रस्तुत किया। जबाब स्टेट हेतु बार–बार अवसर देने पर जबाब स्टेट नही पेश करने पर दिनांक 26.08.2015 को जबाब स्टेट बंद कर दिया गया ।

जबाब दावा अनुसार विवादक बिन्दू नही आने पर तनकीयात कायम नही की गई। दिनांक 05.03.2018 को वादीपक्ष में वादी नं0 1 श्री लालचन्द ने वादपत्र की पुष्टि में शपथ पत्र के माध्यम से वादपत्र के कथनो की पुष्टि की। दस्तावेज जमाबंदी खाता संख्या 13 की नकल **Exp-1**, खाता नं0 14 की नकल **Exp-2** संलग्न पत्रावली है। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नही करने तथा वकील प्रतिवादी की सहमति होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर दिये गये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यो के माध्यम से पूर्णतया पुष्ट किया है। प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 द्वारा भी वादपत्र के कथनो की अपने जबाबदावा के माध्यम से पुष्टि की है।

............लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी

ऐसी स्थिति में वादपत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि चक 4 बीजेडब्लयु द्वितिय खाता नं0 13 प0न0 32/29 कि0न0 14 ता 18, 22 ता 25 = 2.277 है0, प0न0 32/37 कि0न0 21 ता 23 = 0.759 है0, प0न0 32/38 कि0न0 4,7 = 0.506 है0, प0न0 32/30 कि0न0 2,3,7,8,13,14,16 ता 18,23 ता 25 = 2.961 है0, प0न0 32/31 कि0न0 3 ता 5 = 0.759 है0 कुल 7.262 है0 क0अ0क0 मय खाला, एवं इसी चक 4 बीजेडब्लयु द्वितिय खाता नं0 14 प0न0 32/37 कि0न0 6,15,16,25 = 1.012 है0, प0न0 32/45 कि0न0 11,20,21 = 0.684 है0, प0न0 32/46 कि0न0 1,10 = 0.456 है0, प0न0 32/38 कि0न0 2,3,5,6,8 ता 13,18 = 2.783 है0, प0न0 32/30 कि0न0 15 = 0.253 है0 कुल 5.188 है0 कुल दोनो खातो की 12.450 है0 खातेदारी भूमि में वादी नं0 1 लालचंद व वादी नं0 2 राजेन्द्र व प्रतिवादी नं0 1 श्री नत्थू को 3/4 हिस्सा ब0हि0ब0, एवं वादी नं0 3 कांता व वादी नं0 4 रविना को 1/4 हिस्सा ब0हि0ब0 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 3 को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु लिखा जावें। उपरोक्त निर्णय अनुसार वादीगण के हक में डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिंनाक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.01 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: